न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

निर्मल कुमार सैनी उम्र 46 साल पुत्र प्रेमचंद जाति माली निवासी नौरंगाबाद, श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0) मो.नं. 7300187144 – अपीलाण्ट

बनाम

उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन, जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 72 दी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 विरुद्ध आदेश दिनांक 10.06.2021 व सिलसिले विक्रय पत्र मुवलिग 2,00,000 रुपये प्रेमचंद आदि बनाम निर्मल कुमार सैनी कार्यालय उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय श्रीमहावीरजी, तहसील हिण्डौन सिटी

निर्णय दिनांक 26.08.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 72 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं. 2181 रकबा 0.23 है0 बाके ग्राम नौरंगाबाद, तहसील हिण्डौन सिटी, हाल तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली के संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक वयनामा पंजीयन हेतु प्रत्यर्थी के कार्यालय में पेश किया। उक्त आराजी के संबंध में उक्त खसरा नंबर के स्वामित्व निर्धारण के विषय को लेकर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2 हिण्डौन एवं श्रीमहावीरजी में वाद विचाराधीन होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा उक्त वयनामा का पंजीयन नहीं किया गया जिसके असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करते हुए निवेदन किया है कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 04.06.2021 को अपने पिता श्री प्रेमचंद पुत्र मूला एवं भीमसिंह पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी जाति सैनी निवासी नौरबाबाद, श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन सिटी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी भूमि खाता संख्या 393 खसरा नंबर 2181 रकबा 0.23 हैक्टेयर का हिस्सा 19/46 की भूमि बिल एवज 2,00,000 रूपये में खरीद कर, समस्त तयशुदा विक्रय प्रतिफल विक्रेतागण को अदा कर, खरीदशुदा आराजी को अपने कब्जे में प्राप्त किया है, अपीलाण्ट द्वारा खसरा नं. 2181 स्थित ग्राम नौरंगाबाद के संबंध में किये गये खरीद बेचान को विधिवत् तौर पर दिनांक 07.06.2021 को अपने हक में तहरीर व तकमील करवाकर, विक्रय पत्र के साथ पंजीकरण के लिये आवश्यक समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर, आवश्यक दस्तावेजात् विक्रय पत्र के साथ संलग्न कर, विक्रय पत्र पर अपना, विक्रेतागण का, गवाहान का फोटो चस्पा कर, हस्ताक्षरित कर, उक्त विक्रय पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की राशि का जरिये जी.आर.नं. 50209510 दिनांक 07.06.2021 को भुगतान कर, उक्त विक्रय पत्र को जरिये सी.आर.नं. 21060714180 दिनांक 07.06.2021 को ही ऑनलाईन करवाकर, रेस्पोण्डेण्ट उपपंजीयक श्रीमहावीरजी (नायब तहसीलदार जी) के समक्ष पंजीयन हेतु पेश किया जिसे रेस्पोण्डेण्ट द्वारा दिनांक 07.06.2021 को पंजीकृत नहीं किया, दिनांक 08.06.2021 का पुनः पंजीयन के लिये रेस्पोण्डेण्ट के समक्ष जब दस्तावेज रखा, तो पंजीयन करने से पूर्व 50,000 रूपये की मांग की, जिस पर अपीलाण्ट ने इतनी मोटी राशि अलावा देय रजिस्ट्रेशन व पंजीयन शुल्क के देने में

असमर्थता जताई, इस पर रेस्पोण्डेण्ट ने विक्रय दस्तावेज को पंजीयन नहीं कर, बिना किसी इंकारी के इन्द्राज के अपीलाण्ट का वापिस लौटा दिया, इस पर दिनांक 09.06.2021 को पुनः अपीलाण्ट ने दस्तावेज के पंजीकरण के लिये रेस्पोण्डेण्ट उपपंजीयक महोदय से निवेदन किया, तो रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपने ऑफिस के बाबू जैन साहब से एक रजिस्टर मंगवाया और कहने लगे कि इस खसरा नं. 2181 पर न्यायालय का स्टे है, मैं पहले ऊपर पूछुंगा, कल आना, इस पर दिनांक 10.06.2021 को अपीलाण्ट पुनः अपने उक्त दस्तावेज, विक्रेतागण, गवाहान को लेकर रेस्पोण्डेण्ट के समक्ष गया, तो उनके द्वारा अपने बाबू जैन साहब को रजिस्टर लेकर बुलवाया, रजिस्टर में जैन साहब ने सबरजिस्टार महोदय को बताया कि खसरा नं. 2181 की भूमि पर न्यायालय में मुकदमा पेश होने के नोटिस काफी समय पूर्व के प्राप्त हुये है लेकिन न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये इस विक्रय पत्र को पंजीकृत करने में कानूनी रूप से कोई अडचन नहीं है, इस पर रेस्पोण्डेण्ट उपंपजीयक द्वारा बाबूजी को कमरे से बाहर कर, अपीलाण्ट ने कहा कि 50,000 रूपये दो नहीं तो नोट लगा देता हूं, अपीलाण्ट ने 50,000 रूपये देने से मजबूरीवश मना किया और कहा कि मैं कलक्टर साहब से और डी.आई.जी साहब से आपके ऐसे व्यवहार की शिकायत करूंगा, तो रेस्पोण्डेण्ट उपपंजीयक महोदय द्वारा नाराज होकर अपनी कलम से विक्रय पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेज में से संलग्न फर्द प्रार्थनापत्र पर इस आशय का नोट अंकित किया, कि "सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन, श्रीमहावीरजी में खसरा नं. 2181 रकबा 0.23 एयर में न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है तथा पंजीयन किया जाना संभव नहीं है"। और अपीलाण्ट से कहा कि अब तू कलेक्टर, डीआईजी या मुख्यमंत्री किसी के पास चला जा, इसका पंजीकरण नहीं होगा। अपीलाण्ट द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत विक्रय पत्र दस्तावेज पर रेस्पोण्डेण्ट द्वारा दिनांक 10.06.2021 को किया गया पंजीकरण करने से इंकार का नोट/आदेश विधि विरूद्ध है, जो निम्न आधारों पर अपास्त कर, रेस्पोण्डेण्ट द्वारा विधिवत् दस्तावेज पर विधि अनुसार कार्य नहीं करने के लिये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना जरूरी व आवश्यक है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा आदेश दिनांक 10.06.2021 में केवल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन, श्रीमहावीरजी में खसरा नं. 2181 रकबा 23 एयर न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है, दर्ज किया है, उक्त आदेश में रेस्पोण्डेण्ट द्वारा यह नहीं बताया गया है कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन, श्रीमहावीरजी में खसरा नं. 2181 रकबा 23 एयर के संबंध में किन–किन पक्षकारो के बीच कौनसा मुकदमा चल रहा है, मुकदमे का उनवान, मुकदमे का नंबर एवं वर्ष कौनसा है, मुकदमों में न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र में वर्णित भूमि के विधिवत् पंजीकरण करने से या राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत् रखने के संबंध में कोई आदेश जारी है, या नहीं। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा पारित आदेश में उक्त सारगर्भिक तथ्यों का खुलासा नहीं होने के कारण, उक्त आदेश प्रारंभ से ही विधि विरूद्ध है, इसलिये भी उक्त आदेश काबिले निरस्त है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा जारी किये गये आदेश जेरे बहस दिनांक 10.06.2021 में केवल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन, श्रीमहावीरजी में खसरा नं. 2181 रकबा 23 एयर की भूमि के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के किसी प्रावधान के तहत दस्तावेज के पंजीकरण से इंकार किया जाना विधितः अनुज्ञेय नहीं है, इसी कारण आदेश जेरे बहस में रेस्पोण्डेण्ट द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के किसी प्रावधान को इंगित नहीं किया है, इसलिये भी उक्त आदेश जेरे बहस काबिले निरस्त है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा आदेश जेरे बहस दिनांक 10.06.2021 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है कि स्वयं उनके द्वारा आदेश जेरे बहस में जिस मामले को न्यायालय में विचाराधीन मानकार विक्रय पत्र का हस्व कायदा पंजीकरण करने से इंकार किया है, उक्त मामले के वर्ष 2019 से वर्तमान स्थिति अनुसार बिना किसी स्थगन के न्यायालय में विचाराधीन होते हुये, पेश हुये विक्रय पत्रों को हस्व कायदा पंजीकरण किया जाता रहा है, जिससे यह स्पष्ट

जिला कलक्टर

है कि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा की गई अनुचित मांग की पूर्ति नहीं करने के कारण ही अपीलाण्ट के विक्रय पत्र पर विधि विरूद्ध रूप से पंजीयन किया जाना संभव नहीं का नोट/आदेश तहरीर किया है, इसलिये भी उक्त आदेश जेरे बहस काबिले निरस्त है एवं रेस्पोण्डेण्ट के द्वारा विधितः कार्य नहीं करने के लिये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना न्याय संगत है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा आदेश जेरे बहस दिनांक 10.06.2021 पारित करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में धारा 32, 32ए, 34, 35, 71 की प्रक्रिया का अनुशरण नहीं किया है, आदेश जेरे बहस भी मूल दस्तावेज पर करके पुस्तक संख्या 2 में ऐसे आदेश के अपने कारणों को अभिलिखित नहीं किया है, मूल दस्तावेज अपने कार्यालय में रखने के बजाय अपीलाण्ट को लौटाया है, यहां तक की मूल दस्तावेज की कोई प्रति भी अपनी पुस्तकों में दर्ज कर, अपने कार्यालय में नहीं रखी है, संभवतयाः इसलिये कि यदि उक्त विधि विरूद्ध आदेश से भयभीत होकर अपीलाण्ट, रेस्पोण्डेण्ट से उनकी अनुचित मांग के संबंध में समझौता कर ले, मांग की पूर्ति कर दे, तो रेस्पोण्डेण्ट ने जिस फर्द पर उक्त आदेश पारित किया है, उक्त फर्द को हटाकर, दूसरी लगवाकर दस्तावेज का पंजीयन कर सकें, यानी रेस्पोण्डेण्ट द्वारा आदेश जेरे बहस पारित करने से पूर्व विधितः प्रक्रिया व पदीय आचरण का पालन नहीं किया है, इसलिये भी उक्त आदेश जेरे बहस काबिले निरस्त है एवं रेस्पोण्डेण्ट के द्वारा विधितः कार्य नहीं करने के लिये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना न्याय संगत है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा आदेश जेरे बहस पारित कर, विधिक रूप से पेश किये गये, समस्त पंजीयन व स्टाम्प शुल्क व अन्य देय भार प्रभारों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिये जाने के बावजूद, बगैर किसी न्यायालय के स्थगन आदेश के दस्तावेज के पंजीकरण से इंकार कर, राज्य सरकार को आर्थिक क्षति एवं अपीलाण्ट को मानसिक संताप कारित किया जा रहा है, इसलिये भी उक्त आदेश जेरे बहस काबिले निरस्त है एवं रेस्पोण्डेण्ट के द्वारा विधितः कार्य नहीं करने के लिये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना न्याय संगत है। अंत में अपील, अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

उप पंजीयक, श्रीमहावीरजी ने अपने पत्र क्रमांक–पंजीयन/87 दिनांक 22.07.2021 से अवगत करवाया है कि ग्राम औरंगाबाद के खसरा नंबर 2181 रकबा 0.23 है0 में से खातेदार श्री प्रेमचंद पुत्र मूला एवं भीमसिंह पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी जाति माली निवासी औरंगाबाद ने अपीलाण्ट श्री निर्मल कुमार सैनी पुत्र प्रेमचंद सैनी जाति माली निवासी नौरंगाबाद को विक्रय का वयनामा पंजीयन हेतु उप पंजीयक श्रीमहावीरजी के समक्ष दिनांक 10.06.2021 को प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में कार्यालय रिकॉर्ड में जांच करने पर पाया कि उक्त खसरा नंबर के स्वामित्व निर्धारण के विषय को लेकर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2 हिण्डौन एवं श्रीमहावीरजी में वाद विचाराधीन है जिसमें उप पंजीयक श्रीमहावीरजी को पक्षकार बनाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन कार्यालय को प्राप्त हैं जिनकी छायाप्रति संलग्न है। इस कारण से उप पंजीयक श्रीमहावीरजी द्वारा उक्त वयनामा का पंजीयन नहीं किया गया। पंजीयन हेतु अपीलाण्ट द्वारा उपपंजीयक पर दबाब बनाया गया परंतु माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण उप पंजीयक द्वारा वयनामा का पंजीयन नहीं किया गया। इस कारण से अपीलाण्ट ने उप पंजीयक श्रीमहावीरजी पर रिश्वत मांगना संबंधी मिथ्या आरोप लगाये हैं एवं मनगढ़न्त झूंठी शिकायत अपीलाण्ट द्वारा की गई है। जब अपीलाण्ट द्वारा उप पंजीयक के समक्ष वयनामा पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया था तब न्यायालय में विचाराधीन वाद की सम्पूर्ण पत्रावली का अपीलाण्ट को अवलोकन करवाकर अपीलाण्ट को समझाया गया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण वयनामा का पंजीयन किया जाना संभव नहीं है। यह सुनकर अपीलाण्ट नाराज हो गया एवं उप पंजीयक श्रीमहावीरजी को देख लेने की धमकी देने लगा व पंजीयन हेतु दबाब बनाने लगा परंतु उप पंजीयक द्वारा स्पष्ट मना कर देने पर अपीलाण्ट मूल दस्तावेजों को अपने साथ लेकर तेजी से कार्यालय

से बाहर चला गया। उप पंजीयक ने मूल दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने को कहा परंतु अपीलाण्ट नाराज होकर शिकायत की धमकी देकर चला गया। ग्राम नौरंगाबाद के खसरा नंबर 2181 रकबा 0.23 है0 से संबंधित वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त खसरा नंबर में वयनामा का पंजीयन उप पंजीयक द्वारा नहीं किया गया है। विचाराधीन वाद में उप पंजीयक श्रीमहावीरजी को पक्षकार बनाया गया है। माननीय न्यायालय से प्राप्त सम्मन की प्रति संलग्न है। अपीलाण्ट द्वारा की गई शिकायत मनगढ़न्त एवं झूठी है। अंत में अपील, अपीलाण्ट को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उप पंजीयक श्रीमहावीरजी से उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय से स्थगन होने के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

उप पंजीयक श्रीमहावीरजी ने अपने पत्र क्रमांक–पंजीयन/2021/19 दिनांक 12.08.2021 से अवगत करवाया है कि आराजी खसरा नंबर 2181 रकबा 0.23 है0 किस्म बारानी–1 ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौनसिटी हाल तहसील श्रीमहावीरजी के संबंध में मौका रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने बाबत् अथवा उक्त आराजी के रहन एवं वय के संबंध में उनके कार्यालय को किसी भी न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्षयों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता श्री प्रेमचंद पुत्र मूला एवं भीमसिंह पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी जाति सैनी निवासी नौरबाबाद, श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन सिटी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी भूमि खाता संख्या 393 खसरा नंबर 2181 रकबा 0.23 हैक्टेयर का हिस्सा 19/46 की भूमि बिल एवज 2,00,000 रूपये में खरीद कर, समस्त तयशुदा विक्रय प्रतिफल विक्रेतागण को अदा कर, खरीदशुदा आराजी को अपने कब्जे में प्राप्त करते हुए उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज अपने हक में दर्ज करवाने हेतु पंजीयन दस्तावेज पूर्ण करके उप पंजीयक श्रीमहावीरजी के कार्यालय में दिनांक 10.06.2021 को पेश किया। उप पंजीयक श्रीमहावीरजी द्वारा उक्त आराजी के स्वामित्व निर्धारण के संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2 हिण्डौन एवं श्रीमहावीरजी में वाद विचाराधीन है जिसमें उप पंजीयक श्रीमहावीरजी को पक्षकार बनाया हुआ है एवं उन्हें सम्मन प्राप्त हुए हैं। उक्त वाद विचाराधीन होना दोनों ही पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस कारण उप पंजीयक श्रीमहावीरजी द्वारा उक्त दस्तावेज का पंजीयन नहीं किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा रिश्वत मांगे जाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा यह भी बताया गया है कि उक्त आराजी पर मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखने अथवा रहन व वय के संबंध में किसी भी न्यायालय से उनके कार्यालय में स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 12404/12 Baljinder Singh vs. State of Rajasthan &Ans. निर्णय दिनांक 24.03.2015 में यह अंकित किया है कि–

8. Learned counsels appearing for the parties have relied upon Rule 39 of the Rules in support of their contentions, which may be beneficially quoted:

> **"39. Registering Officers not concerned with validity of documents.** - Registering Officers should bear in mind that they are in no way concerned with the validity of documents to them for registration and that it would be wrong for them to refuse to register on any such grounds as under:-
>
> (1) that the executant was dealing with property not belonging to him:

Provided that the registering officer shall not register the document unless he is satisfied himself that the property does not belong to the Government or any local body.

(2) that the instrument infringed the rights of third persons not parties to the transaction:

(3) that the transaction was fraudulent:

(4) that the executant had not agreed to certain conditions of the document:

(5) that the executant was not acquainted with the conditions of the document:

(6) that the executant declared that he had been deceived into executing; and

(7) that the executant is blind and cannot count.

These and such like are matters for decision, if necessary, by competent courts of law, and registering officers, as such, have nothing to do with them. If the document be presented in a proper manner, by a competent person, at the proper office, within the time allowed by law, and if the registering officer be satisfied himself to be, and if such person admits execution, the registering officer is bound to register the document without regard to its possible effects. But the registering officer shall make a note of such objections of the kinds mentioned in grounds (1) to (7) above, as may be brought to is notice in the endorsement required by Section 58."

9. A bare perusal of Rule 39 makes is abundantly clear that the Registering Officer is not empowered to enter into a roving and fishing enquiry regarding the title of the executant over the property, subject matter of document presented for registration. Of course by virtue of proviso to Clause (1) of Rule 39 of the Rules, The Registering Officer is prohibited from registering the document unless he is satisfied that the property does not belong to Government or any local body. In the considered opinion of this court, the scope of enquiry by the Registering Officer in terms of the said proviso is limited and it is only where on the basis of the material on record, it is apparent that the property subject matter of the document presented for registration is the property of the Government or any local body, the registration could be refused by the Registering Officer. But in the garb of the said provision, the Registering Officer cannot assume the authority to adjudicate the dispute regarding the title of the property. Rather, in such situation, the Registering Officer is required to register the document while making a note of the objection as may be brought to his notice in the endorsement required under section 58 of the Act.

इसके अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर से जारी परिपत्र क्रमांक एफ–7(67)मा.द. / कोटा / 2020 / 7613– 7645 दिनांक 17.05.2021 में यह अंकित है कि भारतीय पंजीयन अधिनियम , 1908 की धारा 19, 19ए, 20, 21 एवं धारा 35(3) सपठित पंजीयन नियम 41 तथा पंजीयन अधिनियम की धारा 21(1), 21(4), 23, 25 एवं 34 सपठित पंजीयन नियम 100 तथा पंजीयन नियम 1955 के नियम 45, 46, 93 व 106 के अंतर्गत दस्तावेज को पंजीयन से स्वीकार या इंकार करने के प्रावधान हैं। अचल सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के पंजीयन से संबंधित प्रावधान, भारतीय पंजीयन

अधिनियम, 1908 तथा राजस्थान पंजीयन नियम 1955 भाग–1 के प्रावधानों से शासित होते हैं। अतः पंजीयन अधिनियम में निषिद्ध प्रावधानों के अलावा अन्य आधार पर पंजीयन से इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण में किसी भी न्यायालय से उक्त आराजी को रहन व वय नहीं किये जाने के संबंध में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है एवं भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के उक्त नियमों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेज, पंजीयन हेतु निषिद्ध प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। अतः हम अपील, अपीलार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। उप पंजीयक, श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज पुनः उनके कार्यालय में पेश किये जाने पर वे पंजीयन दस्तावेजों की भली प्रकार से जांच कर, नियमानुसार सही पाये जाने पर उक्त वयनामा का पंजीयन करें। उप पंजीयक को विचाराधीन वादों के संदर्भ में पड़ने वाले प्रभावों का अंकन पंजीयन दस्तावेज पर किये जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। प्रत्यर्थी को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली